न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 28 / 2023
अनवान : –

1. मन्जुदेवी पत्नी रणजीत जाति जाट साकिन ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र बूधराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
2. अमरसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
3. छोटासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
4. मांगेराम पुत्र नन्दलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
5. मोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
6. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र नन्दलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री हवासिंह अधिवक्ता प्रार्थी**
श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः** 02/02/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प0न0 334 / 393 (28) के कि0न0 11 / 2 की 0.0130, 12 / 1 की 0.0130 हैक्ट, 19 / 2 की 0.2410 हैक्ट, 20, 21 की 0.506, 22 / 1 की 0.2510, 23 / 2 की 0.2410 हैक्ट, 24 / 1 की 0.0130, 24 / 2 की 0.2400 कुल 1.5180 हैक्ट भूमि की सायल खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के प0न0 334 / 393 (28) कि0न0 25 / 1 की 0.0250 हैक्ट, 25 / 2 की 0.2280, प0न0 334 / 394(57) कि0न0 न0 2 ता 4, 5 / 1, 5 / 2, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 की 4.0480 प0न0 336 / 397(88) कि0न0 21 ता 24 की 1.0120 हैक्ट प0न0 336 / 398 (105), कि0न0 5 / 1 की 0.0260, 5 / 2 की 0.2270, 6 / 1 की 0. 0260, 6 / 2 की 0.2270, 15 / 1 की 0.0260, 15 / 2 की 0.2270 कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में गैरसायल न0 1 का 17 / 48 हिस्सा गैरसायल न0 2 का 7 / 48 हिस्सा, गैरसायल न0 3 का 1 / 12 हिस्सा, गैरसायल न0 4 का 2741 / 20240 हिस्सा, गैरसायल संख्या 5 का 7 / 48 हिस्सा, गैरसायल न0 6 का 4111 / 30360 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:00 IST
Reason: SelfAttested

सायला गावं ढाणी मोधूवाली से ... रास्ता से होते हुए गैरसायलान के खेत चक न0 5 बी बारानी तहसील नोहर के प0न0 334 / 393(28) कि0न0 25 / 2 के उत्तरी साईड में पूर्व से पश्चिमी चलकर अपने खेत कि0न0 24 / 2 में प्रवेश कर जाती है यही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रास्ता सबसे नजदीकी व सुविधाजनक है। सायला का हमेशा से ही उक्त रास्ता से ही आवागमन रहा है इसके सिवाय अन्य कोई आवागमन का स्वीकृत रास्ता नही है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है इसलिए सायला उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है एवं रास्ता की एवज में प0न0 334/393(28) के कि0न0 24/2 में पूर्वी साईड से उत्तर से दक्षिण भूमि गैरसायलान को देने में सहमत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान न0 1 ता 6 के खेत चक न0 5 बी बारानी तहसील नोहर के प0न0 334/393(28) के कि0न0 25/2 के उत्तरी साईड में पूर्व से पश्चिम एक गटठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश पूर्वी साईड में उत्तर से दक्षिण एक गटठा भूमि गैरसायलान न0 1 ता 6 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की चक न0 5 बी बारानी तहसील नोहर के प0न0 334/393(28) के कि0न0 25/2 के उत्तरी साईड में पूर्व से पश्चिम एक गटठा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल जवाब पेश किया जा चुका है। अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा चक 5 बी बारानी तहसील नोहर के प0न0 334/393 (28) के कि0न0 11/2 की 0.0130, 12/1 की 0.0130 हैक्ट, 19/2 की 0.2410 हैक्ट, 20, 21 की 0.506, 22/1 की 0.2510, 23/2 की 0.2410 हैक्ट, 24/1 की 0.0130, 24/2 की 0.2400 कुल 1.5180 हैक्ट भूमि की सायल खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:00 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के प0न0 334/393 (28) कि0न0 25/1 की 0.0250 हैक्ट, 25/2 की 0.2280, प0न0 334/394(57) कि0न0 न0 2 ता 4, 5/1, 5/2, 7 ता 9, 12 ता 14, 17 ता 19, 22 ता 24 की 4.0480 प0न0 336/397(88) कि0न0 21 ता 24 की 1.0120 हैक्ट प0न0 336/398 (105), कि0न0 5/1 की 0.0260, 5/2 की 0.2270, 6/1 की 0.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0260, 6/2 की 0.2270, 15/1 की 0.0260, 15/2 की 0.2270 कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में गैरसायल न0 1 का 17/48 हिस्सा गैरसायल न0 2 का 7/48 हिस्सा, गैरसायल न0 3 का 1/12 हिस्सा, गैरसायल न0 4 का 2741/20240 हिस्सा, गैरसायल संख्या 5 का 7/48 हिस्सा, गैरसायल न0 6 का 4111/30360 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज़ नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायल संख्या 1 ता 6 के खेत चक न0 5 बी बारानी तहसील नोहर के प0न0 334/393(28) के कि0न0 25/2 के उत्तरी साईड मे पूर्व से पश्चिम एक गटठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते के बदले की भूमि में प0न0 334/393(28) के किला न0 24/2 में पूर्व साईड में उत्तरी से दक्षिण एक गटठा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर अप्रार्थीगण स0 1 ता 6 के नाम दर्ज की जावें। किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/02/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:54:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर/रास्ता/2023/114 दिनांकः– 06.02.24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–28/2023 निर्णय दिनांक 02/02/2024 ।

अनवान : –

1. मन्जुदेवी पत्नी रणजीत जाति जाट साकिन ढाणी मोधूवाली तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र बूधराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
2. अमरसिंह पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
3. छोटासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
4. मांगेराम पुत्र नन्दलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
5. मोहनलाल पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
6. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र नन्दलाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 28/2023 अनवान अमीचन्द आदि बनाम धर्मपाल आदि में निर्णय दिनांक 02/02/2024 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे हो तो वे चक न0 5 बी बारानी तहसील नोहर के प0न0 334/393(28) के कि0न0 25/2 के उत्तरी साईड मे पूर्व से पश्चिम एक गटठा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते के बदले की भूमि में प0न0 334/393(28) के किला न0 24/2 में पूर्व साईड में उत्तरी से दक्षिण एक गटठा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज भूमि में से कम की जाकर अप्रार्थीगण स0 1 ता 6 के नाम दर्ज की जावें।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:34:00 IST
Reason: SelfAttested